सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 16, गुरूवार, शाके 1943-जनवरी 06, 2022

Pausa 16, Thursday , Saka 1943- January 06, 2022

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, दिसम्बर 13, 2021

संख्या एफ 1/RTU **यूनियन बहाली/2021/37019** :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्द) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 756 पर अंकित श्रम संघ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.01.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओ (शॅ-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकिशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नही होने के कारण नियत वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 के आय व्यय विवरण नही भिजवाया जा सका। भविष्य में वे नियत समय पर भिजवाते रहेगें। संगठन अपने सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर समस्याओं का निराकरण करवा रही हैं तथा वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 13.12.2021 के सुना गया। प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ट हूं। अतः मैं राजीव किशोर सक्सैना, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/ रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक

16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघ का नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान संयुक्त एम्पलाईज यूनियन, मार्फत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान प्रांगण, जोरावर सिंह गेट,आमेर रोड, जयपुर-302002	जेपी/एआरटीयू/ 15/2015	756

राजीव किशोर सक्सैना,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.),
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।